अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला..... सं0..... सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्याः 129/2012

राजकुमार चौधरी —— अपीलार्थी

वनाम

बिहार सरकार —— रेस्पाण्डेन्ट्स

–:आदेशः–

प्रस्तुत सेवा अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 925–2/गोपनीय दिनांक 28.03.12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना ।

प्रस्तुत अपीलवाद में संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 22.04.2010 को जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगंज का किए गये निरीक्षण के कम में श्री राजकुमार चौधरी, लेखापाल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगंज को दोषी पाए जाने के कारण ज्ञापांक 705–2/गोपनीय दिनांक 23.04.2010 द्वारा लेखापाल के वेतन भुगतान पर रोक लगायी गयी थी परन्तु जॉच के कम में पाया गया कि वे इस अवधि के दौरान निर्वाध रूप से वेतन की निकासी करते रहे। इसके अलावे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगंज, से प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला कार्यक्रम प्रबधक, जिला स्वास्थ्य समिति, सुपौल, जिला योजना समन्वय, जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सुपौल द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगंज के विभिन्न गतिविधियों की जॉच करायी गयी। त्रिसदस्यीय जॉच दल द्वारा ज्ञापांक 138/डी0 एच0 एस0 दिनांक 18.02.12 से जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में पत्रांक 447–2 गो0 दिनांक 19.02.12 द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगंज से श्री राजकुमार चौधरी, लेखापाल पर लगाये गये कतिपय आरोपों पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगंज के पत्रांक 38/दिनांक 02.03.12 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पूर्व में त्रिसदस्यीय जॉच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में विरोधाभास रहने के कारण पत्रांक 735–2/ गो0 दिनांक 13.03.

12 द्वारा दोनों प्रतिवेदनों पर सिविल सर्जन, सुपौल से मंतव्ययुक्त प्रतिवेदन की मॉग की गयी। सिविल सर्जन, सुपौल का प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं रहने के कारण उक्त मामले की सुनवाई दिनांक 28.03.12 को जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा की गयी तथा सुनवाई के कम में श्री राजकुमार चौधरी द्वारा नियमानुसार कार्य न कर मनमाने तीके से कार्य करने, माह दिसम्बर के ऑडिट रिपोर्ट मे बी0 आर0 एस0 एवं लेजर बुक 30.01.11 तक नहीं बनाने, सिविल सर्जन द्वारा भाउचर संधारित करने का निदेश देने के बावजूद लेखापाल द्वारा समयबद्ध अनुपालन नही किये जाने, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा संचिका में बी0 सी0 एम0 का वेतन भुगतान का आदेश दिए जाने के बावजूद लेखापाल द्वारा अकारण भुगतान नहीं करने, जे0 बी0 एस0 वाई0 योजना के 13 लाथार्थियों के चेक तैयार रहने के बावजूद लाभार्थियों को हस्तसगत नहीं कराने, जे0 बी0 एस0 वाई0 योजनान्तर्गत मरीजों को मिलने वाली राशि में प्रति लाभुक 50 रूपया एवं जन्म प्रमाण पत्र में भी 50 रूपया प्रति लाभुक की दर स लेखापाल द्वारा राशि वसूल करने, ए0 एन0 एम0 की हो रही बैठक में लेखापाल द्वारा बहिष्कार किये जाने एवं स्वास्थ्य प्रबंधक के साथ अमर्यादित शब्द का प्रया0073 किये जाने जैसे अपीलार्थी (राजकुमार चौधरी, लेखापाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रतापगंज द्वारा) बरती गयी लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को देखते हुए सम्यक विचारोपरांत उनका अनुबंध तात्कालिक प्रभाव से जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 925–2 गो0 दिनांक 28.03.12 द्वारा रद्द करते हुए उसकी ज्ञाप प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी गयी है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी के कर्त्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी तथा व्यवहार के खिलाफ आज तक इनके वरीय पदाधिकारी तथा सारे कर्मचारी को कमी कोई शिकायत नहीं हुयी है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, प्रतापगंज, द्वारा अपीलार्थी को जॉच के बाद निर्दोष पाया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में आगे यह भी कथन करते हैं कि प्रतिवादी का कुल आदेश अवैध एवं गलत हैं तथा असलियत के खिलाफ है अतः प्रतिवादी के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना आवश्यक है।

सरकारी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा सरकार के पक्ष में बहस करते हुए विज्ञ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश को न्यायोचित बताया गया।

उभय पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकनोपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि (अपीलार्थी) राजकुमार चौधरी लेखापाल का नियोजन अनुबंध के आधार पर था वो अपीलार्थी राजकुमार चौधरी के लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता जैंसे गम्भीर आरोप का मद्द नजर रखते हुए natural justice तहत अपीलार्थी का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विज्ञ जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज कुमार चौधरी की नियुक्ति जिला स्वास्थ्य समिति सुपौल के अधीन अनुबंध के आधार पर लेखापाल के पद पर किया गया जो संविदा के शर्त्तो के अधीन अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति एवं संविदा आधारित लेखापाल राजकुमार चौधरी के बीच संविदा के शर्त्तो के अधीन है। अतः संविदा के शर्त्तो के उल्लंघन के कारण जिला पदाधिकारी, सह अध्यक्ष द्वारा उनका अनबंध समाप्त किया गया है। स्पष्टतः यह मामला बिहार बोर्ड प्रकीण नियमावली –1958 के दायरे के अधीन/ प्रावधान के अन्तर्गत नहीं आता है और न ही प्रस्तुत वाद में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्गत निदेशों के अनुसार अनुबंध रद्द करने के फलस्वरूप उनके विरूद्ध अपील सुनने की शक्ति आयुक्त में निहित की गई हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में यह वाद सेवा अपील के दायरे में नहीं आने के फलस्वरूप पोषनीय नहीं है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा